

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया I.A.S.

प्रकरण संख्या -13/2024 (प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नं0-2024/98


मांगीलाल आत्मज श्री भैरूलाल निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील चेचट जिला कोटा

—प्रार्थी.

बनाम

1. सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखंड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0 (एन.एच. 148 एन)
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना, कार्यान्वयन ईकाई कोटा

—अप्रार्थी.



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी 5 दी नेशनल हाईवेज एक्ट 1956 एवं मध्यस्थ व सुलह अधिनियम 1996

उपस्थित:-

1. श्री वी0के0 राठौर, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री गोविन्द नामदेव, अभिभाषक अप्रार्थी 1 व 2

निर्णय

दिनांक :- 06 .01.2026

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 (जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं मध्यस्थ व सुलह अधिनियम 1996 के तहत प्रस्तुत किया है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामगंजमण्डी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन दिल्ली -बड़ोदरा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण एवं अनुरक्षण के लिए तहसील चेचट की अन्य भूमियों के साथ प्रार्थी की ग्राम कंवरपुरा में खसरा नं0 674 रकबा 1.13 हे0 में से रकबा 0.6388 हे0 एवं खसरा नं0 675 रकबा 2.62 हे0 में से 0.8946 हे0 किता-2 रकबा 1.5334 हे0 भूमि अवाप्त की गई उक्त खसरा नम्बर 674 675 में से अधिग्रहण करने के पश्चात प्रार्थी की शेष भूमि प्रार्थी के खाते में खसरा नम्बर 894/674 रकबा 0.4913 हे0 दर्ज की गई, इसी प्रकार 896/675 रकबा 1.7254 हे0 दर्ज कर दी गई किन्तु मौके पर प्रार्थी की भूमि पर 0.6388 के स्थान पर 0.762 हे0 भूमि मौके पर अवाप्त की गई, तथा 0.4913 हे0 के स्थान पर 0.368 हे0 भूमि मौके पर शेष है । इसी प्रकार 0.8946 हे0 के स्थान पर 0.962 हे0 भूमि मौके पर अवाप्त की गई तथा प्रार्थी के पास 1.7254 के स्थान पर 1.658 हे0 भूमि शेष है । इस प्रकार अप्रार्थी ने 0.7634 अधि भू-भाग पर अधिग्रहण किया जाना बताया है तथा जिसका मुआवजा प्रार्थी को नहीं दिया गया है ।
2. इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी की गई । अप्रार्थी नं0 02 की ओर से एडवोकेट श्री गोविन्द नामदेव का वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थी संख्या 02 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है । वकील उभय पक्ष उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी ।
3. वकील प्रार्थी द्वारा अपनी लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के कब्जे काशत की ग्राम कंवरपुरा तह0 चेचट में खाता संख्या 184 पुराना-154 में खसरा नम्बर 674 रकबा 1.13 हे0 एवं खसरा नम्बर 675 रकबा 2.62 हे0 कुल किता-2 की कुल रकबा 3.75 हे0 भूमि स्थित चली आ रही है । प्रतिपक्षी क्रम 2 ने अधिसूचना दिनांक 6.9.2018 के पश्चात धारा 3-क के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 24.01.2019 को प्रकाशित की गई और उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के क्रम संख्या 327 पर में खसरा नम्बर 674 की रकबा 0.6388 हे0 एवं क्रम संख्या 328 पर खसरा नम्बर 675 रकबा 0.8946 हे0 अधिग्रहण हेतु अधिसूचना प्रकाशित की गई, इस प्रकार अधिसूचना दिनांक 24.01.2019 के अनुसार प्रार्थी की खसरा नम्बर 674 व 675 में कुल 1.5334 हे0 भूमि को अधिग्रहण योग्य माना है ।

प्रतिपक्षी कम 1 ने अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण कर प्रार्थी को दिनांक 15.11.2019 को नोटिस अन्तर्गत धारा-3 (ई)(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थी की खसरा नम्बर 674 रकबा 0.6388 हे० का मुआवजा 10,17,646/- निर्धारित कर नोटिस प्रेषित किया तथा नोटिस में वर्णित औपचारिकता के आधार पर प्रार्थी उक्त मुआवजा प्राप्त कर लिया । इसी प्रकार खसरा नम्बर 675 की रकबा 0.8946 हे० भूमि का मुआवजा 14,25,150/- निर्धारित किया जो प्रार्थी ने प्राप्त कर लिया है । प्रतिपक्षी कम 2 ने 3ग राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत अधिसूचना दिनांक 24.01.2019 प्रकाशित कर प्रार्थी की दोनों खसरा नम्बरान 674 व 675 में से कुल 1.5334 हे० भूमि अधिग्रहण योग्य मानी गई थी जिसका मुआवजा निर्धारित कर प्रार्थी को अदा कर दिया गया है ।

3/2 अधिग्रहण करने के पश्चात खसरा नम्बर 674 रकबा 1.13 हे० में से 0.6388 हे० भूमि अधिग्रहण के बाद शेष भूमि प्रार्थी के खाते में खसरा नम्बर 894/674 रकबा 0.4913 हे० की गई, इसी प्रकार खसरा नम्बर 675 रकबा 2.62 हे० में से 0.8946 हे० भूमि अधिग्रहण की गई तथा प्रार्थी के खाते में शेष भूमि खसरा नम्बर 896/675 रकबा 1.7254 हे० दर्ज गई । राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के खाते में खसरा नम्बर 674 में से 0.6388 हे० अवाप्ति पश्चात रकबा 0.4912 हे० दर्ज किया गया लेकिन प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थी की भूमि पर 0.6388 के स्थान पर 0.762 हे० भूमि मौके पर अवाप्ति की गई । इस प्रकार मौके पर 0.4912 के स्थान पर 0.368 हे० भूमि का कब्जा दिया गया जो मौके पर 0.1232 हे० अधिक अधिग्रहण की गई है जिसका मुआवजा प्रार्थी को नहीं दिया गया है ।

3/3 इसी प्रकार खसरा नम्बर 675 की 2.62 हे० में से रकबा 0.8946 अवाप्ति के पश्चात रकबा 1.7254 हे० रिकार्ड में दर्ज किया गया लेकिन प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थी की भूमि 0.8946 के स्थान पर 0.962 हे० भूमि मौके पर अवाप्ति की गई । प्रार्थी के पास मौके पर 1.7254 के स्थान पर 1.658 हे० भूमि पर प्रार्थी को कब्जा दिया गया है, इस प्रकार 0.7634 हे० अधिक अधिग्रहण की गई है जिसका मुआवजा भी प्रार्थी को नहीं दिया गया है ।

प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थी को उपरोक्त दोनों खसरा नम्बर 674 व 675 में से 1.5334 हे० का मुआवजा दिया गया है जबकि 2.42 हे० भूमि अधिग्रहण की गई है, इस प्रकार प्रार्थी को 0.8866 हे० रकबा का मुआवजा अदा नहीं किया गया है । प्रार्थी ने प्रतिपक्षी को सम्पूर्ण अवाप्ति भूमि का मुआवजा हेतु मांग की गई, जिस पर प्रतिपक्षी कम 1 व 2 के प्रतिनिधियों ने पैमाईश मौका रिपोर्ट दिनांक 12.5.2023 तैयार की गई जिसमें खसरा नम्बर 674 का रिकार्ड व मौका स्थिति के अनुसार 0.1232 हे० भूमि का अन्तर पाया गया और इसी प्रकार खसरा नम्बर 675 का रिकार्ड व मौका स्थिति के अनुसार 0.7634 हे० का अन्तर पाया गया । प्रतिपक्षी ने प्रार्थी को अधिसूचना अन्तर्गत धारा 3-क दिनांक 24.01.2019 के आधार पर मुआवजा निर्धारित कर अदा किया गया है, जबकि प्रतिपक्षी के दृष्टांत पूर्व में तैयार की गई डी.पी.आर. के बाबत आपत्तियां आने पर प्रतिपक्षी ने पूर्व डी.पी.आर. के बाबत और मौके पर निर्माण कार्य नई डी.पी.आर. के आधार पर किया गया, लेकिन प्रतिपक्षी ने नई डी.पी.आर. बनाने के पश्चात धारा-3-क राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत संशोधित अधिसूचना प्रकाशित नहीं की और पूर्व अधिसूचना पर ही मुआवजा निर्धारित कर दिया गया । प्रार्थी के द्वारा अतिरिक्त भूमि के बाबत मुआवजे की मांग करने एवं प्रतिपक्षीगण को पैमाईश मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात भी अतिरिक्त भू-भाग का मुआवजा ना करने पर धारा 80 सी.पी.सी. के अन्तर्गत नोटिस प्रेषित किया, प्रतिपक्षीगण ने जवाब प्रस्तुत कर मौके की पैमाईश व जांच किये बिना फौरी तौर पर यह जवाब प्रस्तुत किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने डी.पी.आर. कोडिनेट के अनुसार निर्माण कार्य किया है और अतिरिक्त भूमि पर कोई उपयोग नहीं किया गया है जबकि प्रतिपक्षी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में दिनांक 12.5.2023 को पैमाईश मौका रिपोर्ट तैयार की गई थी, प्रतिपक्षी ने इस तथ्य को भी छिपाया गया कि डी.पी.आर. में संशोधन किया गया था । इसी कारण अतिरिक्त भूमि का उपयोग किया गया । प्रतिपक्षीगण अतिरिक्त भूमि 0.9966 हे० भूमि का मुआवजा देने हेतु बाध्य है । जिला स्तरीय कमेटी की दर के अनुसार भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है तथा प्रतिपक्षीगण के दृष्टांत राशि अदा ना करने पर प्रतिपक्षीगण से 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी है आदि तथ्यों के आधार पर उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । भूमि अवाप्ति अधिकारी ने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को विवादित नहीं होना माना और निर्माण कार्य डी.पी.आर कोडिनेर के आधार पर निर्माण करने का कथन किया गया है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 674 व 675 की अधिक भूमि 0.8866 हे० भूमि का मुआवजा डी एल सी दर एवं भूमि अर्जन पुर्नवासन प्रतिकर पारदर्शिता अधिनियम के अनुसार दिलवाये जाने की कृपा करें ।

4. वकील अप्रार्थी नं० 2 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र का प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि ग्राम कंवरपुरा तहसील चेचट के खसरा नं० 674 रकबा 1.13 हे० व खसरा नं० 675 रकबा 2.62 हे० किता 2 रकबा 3.75 हे० से संवधित है जो विवादित नहीं है । अधिसूचना दिनांक 6.9.2018 के जारी होने के पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (घ) की उप धारा 1 के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 24.01.2019 को प्रीशित की गई के कम संख्या 327 पर खसरा नं० 674 रकबा 0.6388 हे० व कम संख्या 328 पर खसरा नं० 675 रकबा 0.8946 हे० अधिग्रहण किये जाने की सूचना प्रकाशित की गई तथा उक्त अधिसूचना दिनांक 24.01.2019 के अनुसार प्रार्थी की खसरा नम्बर 674 व 675 में कुल 1.5334 हे० भूमि को अधिग्रहण योग्य माना जाना विवादित नहीं है । प्रार्थना पत्र के चरण क्रम 5 में विपक्षी सं० 1 के द्वारा अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण कर प्रार्थी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3(ई) (1) के अन्तर्गत खसरा नम्बर 674 रकबा 0.6388 हे० की मुआवजा राशि 10,17,646/- रूपये निर्धारित कर नोटिस दिया जाना विवादित नहीं है । प्रार्थी के स्वयं के कथनों के अनुसार उसने मुआवजा प्राप्त कर लिया है । प्रार्थना पत्र के चरण क्रम 6 में विपक्षी सं० 1 द्वारा अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण कर प्रार्थी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3(ई)(1) के अन्तर्गत खसरा नम्बर 675 रकबा 0.8946 हे० की मुआवजा राशि 14,25,150/- निर्धारित का नोटिस दिया जाना विवादित नहीं है । प्रार्थी के स्वयं के कथनों के अनुसार उसने मुआवजा प्राप्त कर लिया है । प्रार्थना पत्र के चरण क्रमांक 10 के कथन जिस प्रकार से अंकित किये गये हैं स्वीकार नहीं है । अधिसूचना दिनांक 6.9.2018, 24.01.2019 के अनुसार में ही प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि का अधिग्रहण कर दिनांक 15.11.2019 को नोटिस जारी करते हुए प्रार्थी को मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है । अधिसूचना में वर्णित भूमि का ही विपक्षी सं० 2 के द्वारा अधिग्रहण किया गया है । प्रार्थी ने उसके स्वामित्व के अधिक भू भाग पर अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में असत्य एवं भ्रामक तथ्य अंकित किये हैं एवं उसके सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य राजस्व रिकार्ड, पटवारी हल्का की रिपोर्ट नक्शा ट्रेस, नक्शा लट्ठा आदि प्रस्तुत नहीं किये हैं । यहां पर यह अंकित किया जाना आवश्यक है कि प्रार्थी की भूमि का अधिग्रहण भूमि अवाप्ति योजना (Land Acquisition Plan) के अनुसार ही किया गया है । भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण ने डी पी आर कोर्डिनेट के अनुसार निर्माण कार्य किया है और अतिरिक्त अन्य भूमि का उपयोग नहीं किया गया है । प्रार्थी ने मिथ्या कथनों का समावेश किया है । प्रार्थी के मन में दुर्भावना घर कर चुकी है और वह अनावश्यक आधारों पर अतिरिक्त राशि प्राप्त करना चाहता है । प्रार्थी को भूमि अर्जर पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन अधिनियम 2013 के अन्तर्गत उचित राशि का भुगतान कर दिया गया है । प्रार्थी अतिरिक्त रूप में कोई भी राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । यह प्रार्थना पत्र राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवाप्तशुदा भूमि के अलावा शेष भूमि के सम्बन्ध में उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जबकि माननीय श्रीमान को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवाप्तशुदा भूमि के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा मध्यस्थ (Arbitrator) नियुक्त किया गया है । इस कारण श्रीमान को उपरोक्त प्रकरण में क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर हर्ज खर्च खारिज फरमाया जावे ।
5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामगंजमण्डी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148एन दिल्ली -बड़ोदरा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण एवं अनुरक्षण के लिए तहसील चेचट की अन्य भूमियों के साथ प्रार्थी की ग्राम कंवरपुरा में खसरा नं० 674 रकबा 1.13 हे० में से रकबा 0.6388 हे० एवं खसरा नं० 675 रकबा 2.62 हे० में से 0.8946 हे० किता-2 रकबा 1.5334 हे० भूमि



✓

अवाप्त की गई उक्त खसरा नम्बर 674, 675 में से अधिग्रहण करने के पश्चात प्रार्थी की शेष भूमि प्रार्थी के खाते में खसरा नम्बर 894/674 रकबा 0.4913 हे० दर्ज की गई, इसी प्रकार 896/675 रकबा 1.7254 हे० दर्ज कर दी गई किन्तु मौके पर प्रार्थी की भूमि पर 0.6388 के स्थान पर 0.762 हे० भूमि मौके पर अवाप्त की गई, तथा 0.4912 हे० के स्थान पर 0.368 हे० भूमि मौके पर शेष है। इसी प्रकार 0.8946 हे० के स्थान पर 0.962 हे० भूमि मौके पर अवाप्त की गई तथा प्रार्थी के पास 1.7254 के स्थान पर 1.658 हे० भूमि शेष है। इस प्रकार अप्रार्थी ने 0.7634 अधि भू-भाग पर अधिग्रहण किया जाना बताया है तथा जिसका मुआवजा प्रार्थी को नहीं दिया गया है। इसके विपरीत एन०एच०ए०आई० द्वारा प्रार्थी के कथनों का बलपूर्वक खण्डन करते हुए अपने जवाब में तर्क दिया है कि परियोजना का निर्माण कार्य परियोजना के लिए तैयार भूमि अवाप्ति योजना (Land Acquisition Plan) के अनुसार ही किया गया है। भारतीय राजपट्टीय राजमार्ग प्राधिकरण ने डी पी आर कोर्डिनेट के अनुसार निर्माण कार्य किया है और अतिरिक्त अन्य भूमि का उपयोग नहीं किया गया है। प्रार्थी ने मिथ्या कथनों का समावेश किया है। प्रार्थी के मन में दुर्भावना घर कर चुकी है और वह अनावश्यक आधारों पर अतिरिक्त राशि प्राप्त करना चाहता है।

6. उपरोक्त विवेचनानुसार हम यह पाते हैं कि प्रार्थी की अवाप्त भूमि 674 रकबा 1.13 हे० में से रकबा 0.6388 हे० एवं खसरा नं० 675 रकबा 2.62 हे० में से 0.8946 हे० किता-2 रकबा 1.5334 हे० भूमि अवाप्त की गई किन्तु प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थी की भूमि ख०नं० 674 की 0.6388 के स्थान पर 0.762 हे० एवं ख०नं० 675 की 0.8946 के बजाय 0.962 हे० भूमि अर्थात् खसरा नं० 674 एवं 675 की कुल 0.8866 हे० अधिक भूमि अवाप्त करने के कथनों की पुष्टि में वकील प्रार्थी ने कोई ठोस आधार एवं तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे प्रार्थी के कथनों को स्वीकार किया जा सके। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।
7. निर्णय आज दिनांक 06.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।



(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा